भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2819

जिसका उत्तर 12.12.2024 को दिया जाना है

सीएनजी, एलएनजी और इथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देना

2819. श्री नारायण तातू राणे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सड़क निर्माण वाहनों और मशीनरी में सीएनजी, एलएनजी और इथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने आयातित ईंधन के स्थान पर किफायती प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी तरीकों तथा वैकल्पिक ईंधन के विकास पर जोर दिया है;

(ग) क्या सरकार ने सड़क के दोनों ओर टाउनशिप, स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक पार्क और औद्योगिक समूह स्थापित करने की कोई योजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रयोजनार्थ चिह्नित की गई सड़कों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय गैर-जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले मोटर वाहनों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या जैव-संपीड़ित प्राकृतिक गैस या तरलीकृत प्राकृतिक गैस इंजन के साथ दोहरे ईंधन डीजल द्वारा संचालित कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलर, निर्माण उपकरण वाहनों और कंबाइन हार्वेसटर के उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया है ।

(ख) सरकार ने वैकल्पिक ईंधन को शुरू करने के लिए बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया है जैसे गैसोलीन के साथ इथेनॉल का मिश्रण (ई -10, ई -12, ई -15, ई -20), फ्लेक्स-फ्यूल (ई 85) या (ई 100), बायो डीजल, बायो-सीएनजी, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), मेथनॉल एम 15 या एम 100 और मेथनॉल एमडी 95, द्वि ईंधन, एम 85 और डाय-मिथाइल ईथर (डीएमई या डी 100), हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन, हाइड्रोजन सीएनजी।

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ब्राउनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर 40-60 किलोमीटर के नियमित अंतराल पर मार्गस्थ सुविधाओं के विकास की परिकल्पना करता है। इन राजमार्ग सुविधाओं का उद्देश्य नियमित यात्रियों, फुर्सत वाले यात्रियों और ट्रक चालकों सहित राजमार्ग प्रयोक्ता की एक व्यापक श्रेणियों की जरूरतों को पूरा करना है। इसके अलावा, सरकार ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के विकास के लिए पूरे भारत में 35 स्थानों को मंजूरी दी है, जिनकी परिकल्पना एक ही सुविधा के भीतर सभी प्रकार के कार्गो के लिए विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स एकत्रीकरण/पृथक्करण बिंदुओं के रूप में की गई है। 35 स्थानों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	स्थान
1	दिल्ली-एनसीआर (दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा)
2	मुंबई (मुंबई, मुंबई उपनगर, जेएनपीटी, मुंबई बंदरगाह, रायगढ़ जिला)
3	उत्तर गुजरात (अहमदाबाद और वडोदरा)
4	हैदराबाद
5	दक्षिण गुजरात (सूरत और भरूच)
6	दक्षिण पंजाब (लुधियाना, संगरूर , पटियाला)
7	उत्तरी पंजाब (अमृतसर, जालंधर, गुरुदासपुर)
8	जयपुर
9	बैंगलोर
10	पुणे
11	विजयवाड़ा
12	चेन्नई
13	नागपुर
14	इंदौर
15	पटना
16	कोलकाता
17	अंबाला
18	वैसाड
19	कोयंबटूर
20	जगतसिंहपुर
21	नासिक
22	गुवाहाटी
23	कोटा
24	पणजी
25	हिसार
26	विशाखापत्तनम
27	भोपाल
28	सुंदरगढ़
29	भटिंडा
30	सोलन
31	राजकोट
32	रायपुर
33	जम्मू
34	कांडला
35	कोचीन

*****